[2018] 13 एस. सी. आर 217

ALD स्वचालित PVT। लिमिटेड।

वी.

वाणिज्यिक कर अधिकारी अब के रूप में उन्नत

सहायक आयुक्त (सीटी) और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 10412-10413 2018 का)

12 अक्टूबर, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2006: एस. 19 (11) – इनपुट टैक्स क्रेडिट-दावा-हकदारी-तथ्यों पर, अपीलार्थी-निर्धारिती

खरीद पर भुगतान की गई कर राशि के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना

- अपीलार्थी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सका, जब उसने अपनी याचिका दायर की

कर चालान की कमी के लिए निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए विवरणी-अपीलार्थी ने इनपुट कर का दावा करते हुए 6.10.2008 पर संशोधित विवरणी दाखिल की

विक्रेता से कर चालान की प्राप्ति पर क्रेडिट-यू/एस की समय सीमा के आधार पर निर्धारण प्राधिकरण। 19 (11) इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ से इनकार कर दिया गया क्योंकि इसमें देरी हुई थी-निर्धारिती द्वारा लिखित याचिका-एस की वैधता को बरकरार रखते हुए अस्वीकृति। 19 (11) - अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: वहाँ कोई नहीं है

वैधता को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय के फैसले में दुर्बलता एस. 19 (11) – इनपुट क्रेडिट वैधानिक योजना के तहत डीलर को दिए गए लाभ/रियायत की प्रकृति का है और इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

- इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति कब दी जानी है और कब दी जानी है

अस्वीकृत को एस में विस्तृत किया गया है। 19 जो स्व-निहित योजना है और यू/से लाभान्वित होती है एस. 3 (3) का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब एस. में उल्लिखित शर्तें हों। 19 पूर्ण होते हैं-एस द्वारा चित्रित सांविधिक योजना। 19 (11) न तो मनमाना कहा जा सकता है और न ही डीलर यू/आर्ट को गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन कहा जा सकता है। 19 (1) (छ) संविधान की धारा 19 (6) से धारा। 19 (10) एस के लिए असंगत नहीं हैं। 3 (3) जो पंजीकृत विक्रेता के कर में कमी की अनुमति देता है-धारा 19 (11) इनपुट क्रेडिट के लिए एक विस्तारित अवधि की अनुमति देती है जिसका यदि किसी भी मामले में दावा नहीं किया जाता है।

वित्तीय वर्ष के अंत से पहले या उससे पहले महीने का दावा किया जा सकता है।

खरीद की तारीख से 90 दिन जो भी बाद में हो-एस का प्रावधान। 19 (11) विस्तारित अवधि में इनपुट क्रेडिट का दावा करने के लिए विक्रेता को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त लाभ है-'शब्द' के उपयोग से दावे को किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी-इस प्रकार, एस में दी गई समय अवधि। 19 (11) अनिवार्य है-अधिनियम के तहत किसी भी प्राधिकरण को अनिवार्य आवश्यकता को कम करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। 19 (11) - क़ानून

समय के विस्तार के लिए कोई संकेत नहीं दिया है जो एक है इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए शर्त, आकलन प्राधिकरण द्वारा अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता था।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: क्या धारा 19 (11) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन करती है और क्या धारा 19 (11) का उल्लंघन करती है। तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2006 की धारा 3 (3) के अनुरूप नहीं है।

1.1 . धारा 3 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जा रही है।

तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2006 जो "वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने" पर प्रावधान है। धारा 3 एक प्रभार अनुभाग है जिसमें माल की बिक्री पर कर लगाने का प्रावधान है। उप-धारा (3) उसी योजना का हिस्सा है जिसमें पंजीकृत विक्रेता द्वारा उप-धारा (2) के तहत देय कर को निर्धारित तरीके से माल की खरीद पर भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम किया जाएगा। [पैरा 19] [232-बी]

1.2 धारा 3 (3) में प्रावधान किया गया है कि पंजीकृत व्यापारी द्वारा उप-धारा (2) के तहत देय कर को निर्धारित तरीके से राज्य के भीतर पहली अनुसूची के भाग-बी और भाग-सी में निर्दिष्ट माल की खरीद पर भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम कर दिया जाएगा, जो पंजीकृत व्यापारी है जिसने उसे माल बेचा था। धारा 3 उप-धारा (3) का प्रावधान एक ऐसा प्रावधान है जो एक पंजीकृत विक्रेता को कर क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार देता है जिसे धारा 19 में समझाया गया है। यह निवेदन कि धारा 19 धारा 3 (3) से असंगत है, पूरी तरह से गलत धारणा है। धारा 3 उप-धारा (3) में जो परिकल्पना की गई है, उसे धारा 19 में प्रवर्धित और समझाया गया है। धारा 3 की उप-धारा (3) में विचार किए गए अनुसार कर में कमी धारा 19 में दिए गए तरीके से होनी चाहिए। धारा 19 (11) में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए एक शर्त है। वहाँ हैं।

धारा 19 में ही अन्य विभिन्न प्रावधान जहां इसमें ऐसे प्रावधान हैं जहां कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकार्य नहीं है, उदाहरण के लिए धारा 19 (6) से धारा 19 (10)। [पैरा 21] [232-एच; 232-ए-सी]

1.3 धारा 19 (6) से धारा 19 (10) तक धारा 3 (3) से असंगत नहीं हैं जो पंजीकृत विक्रेता के कर में कमी की अनुमति देती है।

जब इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जानी है और जब इसकी अनुमति नहीं दी जानी है तो धारा 19 में विस्तार से बताया गया है जो कि स्व-निहित योजना है और धारा 3 उप-धारा (3) के तहत लाभ ए. एल. डी. ऑटोमोटिव पी. वी. टी. हो सकता है।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर

अधिकारी

दावा केवल तभी किया जाता है जब धारा 19 में उल्लिखित शर्तें पूरी की जाती हैं। [पैरा 22] [233-ई]

1.4 तत्काल मामले में समय अवधि धारा 19 (11) में ही निर्धारित की गई है जो अधिनियम का एक हिस्सा है और इसे धारा 3 उप-धारा (3) के साथ पढ़ा जाना है। [पैरा 27] [236-बी] 1.5 इनपुट क्रेडिट वैधानिक योजना के तहत डीलर को दिए गए लाभ/रियायत की प्रकृति का होता है। रियायत लाभार्थी द्वारा केवल क़ानून की योजना के अनुसार प्राप्त की जा सकती है। [पैरा 32] [238-सी]

1.6 इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल तमिलनाडु मूल्य वर्धित की धारा 19 के तहत गणना की गई शर्तों के अनुसार ही स्वीकार्य है।

कर अधिनियम, 2006। जयम में इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या

और धारा 3 (2) और 3 (3) और धारा 19 (2) पर कंपनी का मामला धारा के समान प्रावधानों पर विचार करते हुए पूरी तरह से आकर्षित होता है।

3 (2) और 3 (3) और अधिनियम की धारा 19 (11) का प्रावधान। धारा 19 (11) द्वारा निरूपित सांविधिक योजना न तो हो सकती है

मनमाना कहा जाता है और न ही संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत विक्रेता को गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन कहा जा सकता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 19 (11) की वैधता को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कमजोरी नहीं है। [पैरा 37] [241-एफ-एच]

जयम एंड कंपनी v. सहायक आयुक्त और

एक और (2016) 15 एससीसी 125: [2016] 6 एससीआर 787-निर्भर पर।

बिक्री कर अधिकारी, पोंकुन्नम और एक अन्य v. के. आई.

अब्राहम ए. आई. आर. (1967) एस. सी. 1823-लागू नहीं था।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मद्रास बनाम। अशोक लेलैंड लिमिटेड (2007) 4 एस. सी. सी. 51: [2007] 4 एससीआर 90

प्रतिष्ठित।

आर. K.Garg वी. भारत संघ (1981) 4 एससीसी 675: [1982] 1 एस. सी. आर. 947; कैलाश चंद्र और एक अन्य वी. मुकुंदी लाल और अन्य (2002) 2 एस. सी. सी. 678:

[2002] 1 एस. सी. आर. 605; गोदरेज और बॉयस एम. एफ. जी. कं. प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम। बिक्री कर और अन्य आयुक्त (1992) 3 एस. सी. सी. 624: [1992] 3 एससीआर 683; भारतीय एजेंसियां (विनियमन), बैंगलोर बनाम। वाणिज्यिक करों के अतिरिक्त आयुक्त, बैंगलोर (2005) 2 एससीसी 129: [2004] 6 पूरक।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. सी. आर. 1987; कर्नाटक राज्य बनाम एम. के. एग्रो टेक (पी)

लिमिटेड (2017) 16 एस. सी. सी. 210-संदर्भित।

क्या धारा 19 (11) निर्देशिका प्रावधान है, जिसका गैर-अनुपालन अपीलार्थियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है; और क्या अपीलार्थियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार करना वैट अधिनियम, 2006 की योजना के विपरीत है।

2.1 जिन शर्तों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाना है, वे सभी धारा 19 में उल्लिखित हैं। जिस शर्त के तहत रियायत और लाभ दिया जाता है, वह हमेशा सख्ती से होना चाहिए।

समझा जाता है। यदि यह स्वीकार किया जाता है कि धारा 19 (11) में निहित इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए कोई समय अवधि नहीं है, तो प्रावधान बहुत अधिक लचीला हो जाता है और इनपुट क्रेडिट के दावे के सत्यापन में कठिनाई सहित बड़ी संख्या में कठिनाइयों को जन्म देता है। कराधान कानून में कर लगाने, गणना और कर संग्रह की स्व-निहित योजना शामिल है। जिस समय के तहत कर के आकलन के उद्देश्य से विवरणी दाखिल की जानी है, वह किसी व्यापारी की इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकती है। धारा 19 (11) में 'होगा' शब्द का उपयोग किसी अन्य व्याख्या को स्वीकार नहीं करता है, सिवाय इसके कि दावा किए गए इनपुट को प्रस्तुत करना समय से परे नहीं हो सकता है।

निर्धारित किया गया। धारा 19 (11), वास्तव में, इनपुट क्रेडिट के दावे के लिए अतिरिक्त समय अवधि प्रदान करती है। वैधानिक योजना में विचार किया गया है

अगले महीने की 20 तारीख से पहले समय पर रिटर्न दाखिल करना। तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर नियम, 2007 का नियम 7 विवरणी दाखिल करने से संबंधित है। [पैरा 38] [242-बी-डी]

2.2 इस प्रकार धारा 19 (11) ने इनपुट क्रेडिट के लिए एक विस्तारित अवधि की अनुमति दी, जिसका यदि किसी भी महीने में दावा नहीं किया जाता है तो पहले दावा किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति या खरीद की तारीख से 90 दिनों से पहले, जो भी बाद में हो। इस प्रकार धारा 19 (11) का प्रावधान विस्तारित अवधि में इनपुट क्रेडिट का दावा करने के लिए डीलर को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त लाभ है। "दावा करेगा" शब्द के उपयोग के लिए किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार धारा 19 (11) में दी गई समय अवधि अनिवार्य है। [पारस 40,41,42] [243-डी-ई; 245-सी]

दल चंद बनाम। नगर निगम, भोपाल और

एक अन्य (1984) 2 एस. सी. सी. 486-लागू नहीं किया गया।

क्या आकलन अधिकारी तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006 की धारा 19 (11) में प्रदान की गई अवधि से आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अवधि बढ़ा सकते थे।

ALD स्वचालित PVT। लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर

अधिकारी

3. तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2006 की योजना में,

अधिनियम के तहत किसी भी प्राधिकरण को धारा 19 (11) के तहत अनिवार्य आवश्यकता को कम करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। कराधान कानून का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। कुछ भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए, कुछ भी निहित नहीं होना चाहिए और कर कानून में उपयोग की जाने वाली भाषा को निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए। कराधान कानून में परिकल्पित लाभों को उसमें परिकल्पित प्रतिबंधों और शर्तों के अनुसार बढ़ाया जाना था। कानून ने समय बढ़ाने के लिए कोई संकेत नहीं दिया है जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए एक शर्त है, यह प्रस्तुत करना कि मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अवधि बढ़ाई जा सकती थी, निराधार है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 46] [247-ई-एफ]

सुरिंदर सिंह बनाम। केंद्र सरकार और अन्य (1986) 4 एससीसी 667: [1986] 3 एससीआर 946-प्रतिष्ठित।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 6 एससीआर 787

उस पर भरोसा करें

पै

रा 37

[1982] 1 एससीआर 947

पै

रा 17

संदर्भित किया गया है

[2002] 1 एससीआर 605

संदर्भित किया गया है

पै

रा 18

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 27

आकाशवाणी (1967) एससी 1823

[2007] 4 एससीआर 90

प्रतिष्ठित

पै

रा 31

[1992] 3 एससीआर 683

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[2004] 6 पूरक। एससीआर 1987

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

(2017) 16 एस. सी. सी 210

संदर्भित किया गया है

पै

रा 34

(1984) 2 एससीसी 486

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 42

[1986] 3 एससीआर 946

प्रतिष्ठित

पै

रा 46

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 10412

10413 2018 का

उच्च न्यायालय के 17.07.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मद्रास में रिट याचिका सं. 5385 और 2010 का 5386।

[2018

] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के साथ

10525-10527 , 10544 , 10522 , 10524 , 10519-10521 , 10500-10502 , 10508 , 10516-10518 , 10543 , 10514-10515 , 10528 , 10534-10538 , 10529 10532 , 10533 , 10539-10542 , 10549 , 10545-10548 , 10550 , 10551-10553 , 10554-10558 , 10559 2018 से।

एस. के. बागरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विजय नारायण, अधिवक्ता। जनरल, तमिलनाडु, राजीव मिश्रा, साणंद रामकृष्णन, मदन मोहन बोरा,

मेसर्स पारेख एंड कंपनी के लिए आर. हेमलता, एस. नितिन, सुश्री अरुणिमा सिंह, पी. आर. कोविलन, वी. वासुदेवन, सुश्री गीता कोविलन, ई. आर. कुमार, अजीत कुमार सिंह, आदित्य शर्मा, आकाश जिंदल, टी. आर. बी. शिवकुमार, एस. नंदकुमार, एम. सुंदरसरनकुमार, सुश्री दीपिका नंदकुमार, सुगम कुमार झा, नरेश कुमार, आर. आनंद पद्मनाभन, शशि भूषण कुमार, गौतम नारायण, सुश्री महामाया चटर्जी, सुश्री शिवानी विज, के. वी. विजयकुमार, श्रीमती प्रभा स्वामी, महेश अग्रवाल, सुश्री सदपूर्णा मुखर्जी, ई. उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. देरी को माफ कर दिया गया। छुट्टी दे दी गई।

2. ये सभी अपीलें मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के सामान्य फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें रिट के एक समूह को खारिज कर दिया गया है।

अपीलार्थियों द्वारा दायर याचिकाएँ। रिट याचिकाओं में मुख्य चुनौती तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2006 (इसके बाद "तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006" के रूप में संदर्भित) की धारा 19 (11) का प्रावधान था। अपीलों के इस समूह में उठाए गए मुद्दों की सराहना करने के लिए सिविल अपील संख्या में तथ्यों पर ध्यान देना पर्याप्त है। 10412-10413 एस. एल. पी. (सी) सं. से उद्भूत 2018 का। 36112-36113 2013 का (ए. एल. डी. ऑटोमोटिव प्रा. लिमिटेड बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य)।

3. अपीलकर्ता कंपनी तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006 के तहत एक पंजीकृत विक्रेता है। अपीलार्थी कंपनी के व्यवसाय में लगी हुई है मोटर वाहनों का पट्टा और बेड़ा प्रबंधन और उपयोग किए गए वाहनों की पुनर्विक्रय

मोटर वाहन। कंपनी का मुख्य कार्यालय मुंबई में है। अपीलार्थी का मुख्य कार्यालय तमिलनाडु में स्थानीय पंजीकृत विक्रेताओं के साथ खरीद मूल्य पर बातचीत करता है और ए. एल. डी. स्वचालित पी. वी. टी. को खरीद आदेश जारी करता है।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी [अशोक भूषण, जे.]

अपीलार्थी अपने लेखा बही में कर के भुगतान वाले कर चालान का विवरण दर्ज करता है। अपीलार्थी ने मूल कर चालानों के संग्रह का कार्य एक मेसर्स को आउटसोर्स किया था। एम. आई. डी. कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड, दस्तावेज़ एकत्र करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त एक एजेंसी है। अपीलार्थी तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006 की धारा 19 (2) के अनुसार मोटर वाहन के पंजीकृत विक्रेता से की गई खरीद पर भुगतान की गई कर राशि के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का हकदार है। धारा 19 (11) के अनुसार, यदि किसी डीलर ने किसी विशेष महीने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया है, तो डीलर वित्तीय वर्ष के अंत से पहले या खरीद की तारीख से 90 दिनों से पहले, जो भी बाद में हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। जब अपीलार्थी ने कर चालान के अभाव में निर्धारण वर्ष 2007-2008 के लिए अपना विवरणी दाखिल किया, तो उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सका। हालाँकि, अपीलार्थी ने विक्रेता से कर चालान की प्राप्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते हुए संशोधित विवरणी दाखिल की। अपीलार्थी ने अप्रैल, 2007 से फरवरी, 2008 तक की अवधि के लिए अपनी मासिक विवरणी भी दाखिल की। अपीलार्थी ने मार्च, 2008 के महीने के लिए 06.10.2008 पर मासिक विवरणी दाखिल की थी। रिटर्न दाखिल करने में देरी हुई। मूल खरीद चालानों की देर से प्राप्ति के कारण, अपीलार्थी ने मार्च, 2008 से जनवरी, 2009 की अवधि के लिए मार्च, 2009 के महीने में अपने विवरणी को संशोधित किया। 4. 06.10.2008 पर दाखिल विवरणी में, अपीलार्थी ने Rs.42,04,628/- के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। दिनांक 21.11.2008 के आदेश द्वारा, वाणिज्यिक कर अधिकारी ने मार्च, 2008 के महीने में अपीलार्थी द्वारा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को खारिज कर दिया। अपीलार्थी द्वारा 2009 की रिट याचिका (सी) संख्या 18137 के रूप में दायर एक रिट याचिका पर, उच्च न्यायालय ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार करने के प्रस्ताव की पुष्टि करने वाले आदेश को रद्द कर दिया और

वाणिज्यिक कर अधिकारी कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करें। अपीलार्थी के संशोधित विवरणी को अस्वीकार करने का प्रस्ताव करते हुए नोटिस जारी किया गया था, जिस पर आपत्ति जताई गई थी। आपत्तियों में, अपीलार्थी ने कहा कि मूल कर चालान प्राप्त करने में देरी केवल इस तथ्य के कारण थी कि

पंजीकृत विक्रेताओं से मूल कर चालान देर से प्राप्त हुए। नोटिस की पुष्टि करते हुए और [2018] 13 एस. सी. आर. को अस्वीकार करते हुए दिनांकित 01.06.2009 का नोटिस जारी किया गया था।

अपीलार्थी की आपत्तियों को यह देखते हुए कि यह एक विलंबित दावा था, निर्धारण वर्ष के लिए कुल 822/- रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूरी राशि को स्वीकार्य नहीं माना जाता है। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका दायर की। रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गईं:

" ऊपर बताए गए कारणों के लिए, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय घोषणा पत्र या कोई अन्य आदेश जारी करने के लिए प्रसन्न हो।

तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर नियम, 2007 के नियम 10 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 (11) को रिट की प्रकृति में उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश के प्रावधानों से परे घोषित करना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का मनमाना और उल्लंघन करने वाला अधिनियम, ऐसे अन्य या आगे के आदेश पारित करता है जो यह माननीय न्यायालय तथ्यों पर उचित और उचित समझे और

मामले की परिस्थितियाँ और इस प्रकार न्याय प्रदान करती हैं।

ऊपर बताए गए कारणों के लिए, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय रिट की प्रकृति में प्रमाणपत्र, आदेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या आदेश या आदेश का एक रिट जारी कर सकता है, प्रतिवादी द्वारा टीएन 33421413542/01.06.2009 में जारी किए गए विवादित नोटिस को रद्द कर सकता है जो याचिकाकर्ता को 16.06.2009 पर दिया गया है और प्रतिवादी को निर्देश दे सकता है कि वह अपीलकर्ता के इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे को रुपये की राशि के लिए अनुमति दे।

अन्य या आगे के आदेश जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित और उचित समझे और इस प्रकार

न्याय "।

5. हम एसएलपी (सी) संख्या से उत्पन्न 2018 की एक अन्य दीवानी अपील संख्या 10503 10507 के तथ्यों पर भी ध्यान दे सकते हैं। 11319-11323 2014 का (श्री देवी एंटरप्राइजेज बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य) .

6. अपीलार्थी एक साझेदारी फर्म है जो पेट्रोल पंप का मालिक है।

और पेट्रोल, डीजल, ऑटो एलपीजी और स्नेहक तेल (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सभी उत्पाद) में सौदा करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अपीलार्थी के दावे को 11.04.2011 दिनांकित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। द. प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने के लिए तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006 की धारा 19 (11) के तहत समय सीमा

पर भरोसा रखा। 2011 के दिनांकित 11.04.2011 रिट याचिका (C) No.10648 द्वारा व्यथित अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया था जिसमें निम्नलिखित राहतों का दावा किया गया था:

" 28. इसलिए यह न्यायसंगत और आवश्यक है कि यह माननीय न्यायालय घोषणा पत्र या कोई अन्य ए. एल. डी. स्वचालित पी. वी. टी. जारी कर सके।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी [अशोक भूषण, जे.]

अनुच्छेद 226 के तहत उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश भारत का संविधान, यह घोषणा करते हुए कि तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2006 की धारा 3 और तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2006 की धारा 20,21,22 और 27 के तहत रद्द करने की सामान्य योजना के साथ 19 (11) असंगत है, और अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के तहत याचिकाकर्ता के अधिकारों का मनमाना और तर्कहीन उल्लंघन किया जा रहा है और इनपुट क्रेडिट कर की अनुमति न देने से उत्पन्न होने वाली कर मांगें भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 265 और 300 ए का उल्लंघन करती हैं, और इसलिए, अप्रवर्तनीय हैं, या ऐसे आगे या अन्य आदेश पारित करते हैं जो इस मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझते हैं।

न्याय दें।

29. इसलिए यह न्यायसंगत और आवश्यक है कि यह माननीय न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रमाण पत्र या अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए प्रसन्न हो, जिसमें प्रथम प्रतिवादी की कार्यवाही को उसके टी. आई. एन. 33251300045/06-07 दिनांक <आई. डी. 1 में रद्द कर दिया गया है और उसी को रद्द करने या ऐसे आगे या अन्य आदेश पारित करने के लिए जो मामले की परिस्थिति में उचित और उचित लगे और न्याय प्रदान करे।

7. इसी तरह, मद्रास उच्च न्यायालय में अन्य रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में रिट याचिकाएं दायर की गईं, जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट था।

तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006 की धारा 19 (11) का पालन न करने के कारण इसकी अनुमति नहीं दी गई। सभी रिट याचिकाओं का फैसला आम लोगों द्वारा किया गया था।

निर्णय दिनांकित 17.07.2013। मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित फैसले द्वारा तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006 की धारा 19 (11) की वैधता को बरकरार रखा और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा।

उत्तरदाताओं ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ से इनकार किया। उच्च न्यायालय ने आगे, उन मामलों में जहां मूल्यांकन के अंतिम आदेशों को चुनौती दी गई है, अपीलार्थियों को आदेश की एक प्रति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर वैधानिक अपील करने की स्वतंत्रता प्रदान की, उसी पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाना था बशर्ते कि निर्धारिती अन्य अनिवार्य वैधानिक शर्तों को पूरी तरह से भर रहा हो। यह ध्यान रखना उपयोगी है कि

पैराग्राफ 84,85 और 86 में निहित निर्णय का परिचालन भाग, जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 84. मूल्यांकन को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का दूसरा समूह

संशोधित में लिए गए श्रेय को अस्वीकार करने का आदेश/कारण दिखाएँ नोटिस

टी. एन. वैट अधिनियम की धारा 19 (11) से जुड़े विवरणी नहीं हैं

बनाए रखने योग्य। संवैधानिकता [2018] 13 एस. सी. आर. को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएँ।

धारा 19 (11) के तहत मूल्यांकन आदेशों/कारण बताए जाने के नोटिसों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में विफल होने पर उनके पास खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है और

इसलिए, उन्हें अनिवार्य रूप से विफल होना चाहिए।

85. ऐसे मामलों में जहां मूल्यांकन के अंतिम आदेश दिए गए हैं।

चुनौती दिए जाने पर, निर्धारिती ऐसे आदेश के खिलाफ सांविधिक अपील करने के हकदार होंगे और यदि ऐसी अपीलें प्रस्तुत की जाती हैं, तो इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि निर्धारिती सीमा के आधार पर उन अपीलों को अस्वीकार करने के अलावा अन्य अनिवार्य सांविधिक शर्तों को पूरा करे। जहां याचिकाकर्ताओं ने कारण दर्शाओ नोटिस को चुनौती दी है, वे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि इस तरह का स्पष्टीकरण प्रति की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है

इस आदेश में, निर्धारण प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा

कानून के अनुसार।

86. नतीजतन, सभी रिट याचिकाओं को यह मानते हुए खारिज कर दिया जाता है कि धारा 19 (11) एक वैध कानून है, जिसे अनुचित या भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 और 360 ए का उल्लंघन करने के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। अंतरिम

सभी रिट याचिकाओं में दी गई रोक खाली हो जाती है और

विविध याचिकाएँ बंद हो जाती हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

8. ये सभी अपीलें आम फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई हैं।

दिनांकित 17.07.2013।

9. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील के साथ-साथ तमिलनाडु राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता को भी सुना है।

10. अपीलों के समर्थन में अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील

यह तर्क दिया जाता है कि तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006 की धारा 19 (11) के तहत लगाए गए अनुचित प्रतिबंध से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए एक पंजीकृत विक्रेता के मूल और निहित अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है और खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर या वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, जो भी बाद में हो, दावा करने की आवश्यकता होती है।

11. यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 19 (11) मूल अधिकार के प्रवर्तन को अनुचित के साथ-साथ मनमाना और उल्लंघनकारी बनाती है।

संविधान का अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी)। अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत इस तरह के अधिकार को धारा 19 (11) द्वारा छीन नहीं लिया जा सकता है जो केवल एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है। धारा 19 (11) चार्जिंग ए. एल. डी. ऑटोमोटिव पी. वी. टी. के साथ असंगत है।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी [अशोक भूषण, जे.]

अधिनियम की धारा 3 (3)। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, धारा 19 (11) केवल एक निर्देशिका प्रावधान है और इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। धारा 3 (3) और 19 (11) उसी योजना का हिस्सा होने के नाते जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देती है, धारा 19 (11) का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि धारा 3 (3) के तहत दिए गए अधिकार को छीन न लिया जा सके। धारा 3 (3) के तहत वैधानिक लाभ प्रभार अनुभाग का हिस्सा होना अनिवार्य है। धारा 3, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे का अधिकार देती है, में कोई सीमा नहीं है, इसलिए इस तरह के अधिकार को धारा 19 (11) में निहित किसी भी सीमा से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। 12. विद्वान अधिवक्ता-तमिलनाडु राज्य के महाधिवक्ता ने अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि धारा

19 (11) तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006 में आवश्यक शर्तें हैं जिनके तहत एक व्यापारी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है, इसलिए शर्तों का पालन न करने पर अपीलकर्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार कर दिया गया है। धारा 19 (11) उसी वैधानिक योजना का एक हिस्सा है और किसी भी अधिकार से ग्रस्त नहीं है। विद्वान महाधिवक्ता जयम एंड कंपनी बनाम कंपनी बनाम कंपनी बनाम

(1) क्या धारा 19 (11) अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन करती है

भारत का संविधान?

(2) क्या धारा 19 (11) धारा 3 (3) के लिए असंगत है

एक्ट?

(3) क्या धारा 19 (11) निर्देशिका प्रावधान है, गैर-अनुपालन जिनका आधार निवेश कर क्रेडिट से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

याचिकाकर्ता?

(4) क्या अपीलार्थियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार करना इसके विपरीत है

वैट अधिनियम, 2006 की योजना के लिए?

(5) क्या आकलन करने वाले अधिकारी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अवधि को इस में दी गई अवधि से आगे बढ़ा सकते थे।

तमिलनाडु वैट अधिनियम, 2006 की धारा 19 (11)?

14. विद्वान सलाहकार की दलीलों में प्रवेश करने से पहले

ई पक्षकार, वैधानिक योजना को चित्रित रूप में नोटिस करना आवश्यक है

तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2006। तमिलनाडु वैट

2006 तमिल राज्य में माल की बिक्री और खरीद पर कर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जिसे धारा 2 (24) के तहत परिभाषित किया गया है।

वींग शब्द:

" 2 (24) " "निवेश कर" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान पूंजीगत वस्तुओं सहित वस्तुओं की खरीद पर किसी अन्य पंजीकृत व्यापारी को भुगतान किया गया या देय कर;

15. सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन है। धारा 3 (1), (2) और (3) जो वर्तमान मामले के लिए अनिवार्य हैं, निम्नानुसार हैं:

" 3. माल की बिक्री पर करों का शुल्क। - (1) ((क) प्रत्येक विक्रेता, एक गैर-निवासी व्यापारी के आकस्मिक व्यापारी या एजेंट के अलावा, जिसका एक वर्ष के लिए कुल कारोबार पांच लाख रुपये से कम नहीं है और

गैर-निवासी व्यापारी का प्रत्येक आकस्मिक व्यापारी या अभिकर्ता, जो भी हो

एक वर्ष के लिए उसका कुल कारोबार इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करेगा।

1 (ख) खंड (क) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक गैर-निवासी व्यापारी के आकस्मिक व्यापारी या एजेंट के अलावा प्रत्येक व्यापारी, जिसका राज्य के भीतर एक वर्ष के लिए खरीद और बिक्री के संबंध में कुल कारोबार दस लाख रुपये से कम नहीं है, इसके तहत कर का भुगतान करेगा। एक्ट करें।

(1 - ए) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, के लिए

इस अधिनियम के तहत कर निर्धारण का उद्देश्य, से अवधि के लिए

जनवरी 2007 के पहले दिन से मार्च 2007 के 31 वें दिन तक

उप-धारा (1) के खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट विक्रेताओं के संबंध में निरस्त किए गए तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959 (1959 का तमिलनाडु अधिनियम 1) के तहत 1 अप्रैल 2006 से 31 दिसंबर 2006 तक की अवधि के लिए कुल कारोबार और 1 जनवरी 2007 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक की अवधि के लिए कुल कारोबार।

इस अधिनियम के तहत 31 मार्च 2007 को कुल

वर्ष 2006-2007 के लिए कारोबार। ऐसे व्यापारी के संबंध में जिसका उस वर्ष का कुल कारोबार निर्दिष्ट कुल कारोबार से अधिक है -

उप-धारा 1 के उक्त खंड (ए) या (बी) में और यदि, स्वचालित पी. वी. टी.

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी [अशोक भूषण, जे.]

(क) ऐसे व्यापारी ने इस अधिनियम के तहत कर एकत्र नहीं किया है, वह

इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है,

(ख) ऐसे व्यापारी ने इस अधिनियम के तहत कर एकत्र किया है, वह इस अधिनियम और इसके अन्य प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम, ऐसे विक्रेता पर लागू होगा।]

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन, पहली अनुसूची के भाग-बी या भाग-सी में निर्दिष्ट वस्तुओं के मामले में,

इस अधिनियम के तहत कर प्रत्येक बिक्री पर एक व्यापारी द्वारा देय होगा।

वह अनुसूची।]

(3) एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा उप-धारा (2) के तहत देय कर को राज्य के भीतर पहली अनुसूची के भाग-बी या भाग-सी में निर्दिष्ट माल की खरीद पर भुगतान किए गए कर की सीमा तक निर्धारित तरीके से कम कर दिया जाएगा।

उसे माल बेच दिया।

16. धारा 19 में "इनपुट टैक्स क्रेडिट" शीर्षक है। धारा 19 में 20 उप-धाराएँ हैं। धारा 19 में कई उप-धाराओं की गणना की गई है।

जिसमें यह प्रावधान है कि कुछ परिस्थितियों में किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं है, जबकि अन्य प्रावधानों में वैधानिक योजना शामिल है जिसके तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति है। वर्तमान मामले में हम धारा 19 (11) से संबंधित हैं जो निम्नलिखित प्रभाव से है:

" 19 (11) यदि कोई पंजीकृत विक्रेता किसी भी महीने में कर योग्य खरीद के किसी भी लेनदेन के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में विफल रहता है, तो वह वित्तीय वर्ष के अंत से पहले या उससे पहले दावा करेगा।

खरीद की तारीख से नब्बे दिन, जो भी बाद में हो।

मुद्दा नं. 1 और 2

17. अपीलों के इस समूह में चुनौती राजकोषीय कानून के लिए चुनौती है। राजकोषीय विधान की वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने (1981) 4 एस. सी. सी. 675, बनाम भारत संघ, में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानून की व्याख्या के लिए स्थापित सिद्धांतों की गणना की है। निर्णय के पैरा 8 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 8. समान महत्व का एक अन्य नियम यह है कि संबंधित कानून

आर्थिक गतिविधियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म जैसे नागरिक अधिकारों को छूने वाले कानूनों की तुलना में अधिक अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए। आदि। होम्स, जे. से कम किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा है कि विधायिका को जोड़ों में कुछ खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

क्योंकि इसे उन जटिल समस्याओं से निपटना पड़ता है जो किसी भी सिद्धांत या स्ट्रैट-जैकेट सूत्र के माध्यम से समाधान को स्वीकार नहीं करती हैं और यह विशेष रूप से आर्थिक मामलों से निपटने वाले कानून के मामले में सच है, जहां, निपटने के लिए आवश्यक समस्याओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जोड़ों में अधिक से अधिक खेल की अनुमति विधायिका को दी जानी चाहिए। न्यायालय को न्यायिक सम्मान देने के लिए अधिक झुकाव महसूस करना चाहिए

अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक विनियमन के क्षेत्र में विधायी निर्णय जहां मौलिक मानवाधिकार शामिल हैं। इस चेतावनी को मोरे वी की तुलना में कहीं भी अधिक सम्मानपूर्वक व्यक्त नहीं किया गया है। डाउड 1 जहाँ फ्रैंकफर्टर, जे. ने अपनी अनूठी शैली में कहा:

" उपयोगिताओं, कर और आर्थिक विनियमन मामलों में, हैं

न्यायिक नहीं तो न्यायिक आत्मसंयम के अच्छे कारण

कई बार न्यायाधीशों को स्वयं घटनाओं द्वारा खारिज कर दिया गया है सीमा को न्यायिक ज्ञान का मार्ग माना जा सकता है और

संस्थागत प्रतिष्ठा और स्थिरता।

18. सांविधिक व्याख्या का एक अन्य सिद्धांत जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वह यह है कि कानून के किसी प्रावधान को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए और इसे अन्य संबंधित प्रावधानों के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए, अधिक स्पष्ट रूप से जब विषय वस्तु विभिन्न धाराओं के भीतर या एक ही क़ानून के भीतर व्यवहार की जाती है। इस प्रस्ताव को अदालत ने कैलाश चंद्र और दूसरे बनाम मुकुंदी लाल में दोहराया था और

एस, 2002 (2) एस. सी. सी. 678। पैराग्राफ 11 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

1 : -

“ 11. कानून के किसी प्रावधान को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसे अधिनियम में ही अन्य संबंधित प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से, जब विषय-वस्तु ए. एल. डी. ऑटोमोटिव पी. वी. टी. में निपटाया जाता है।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी [अशोक भूषण, जे.]

एक ही क़ानून की विभिन्न धाराएँ या भाग समान हैं या

प्रकृति में समान "।

19. यहाँ हमने देखा है कि धारा 3 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी जा रही है जो "वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने" का प्रावधान है। धारा 3 एक प्रभार अनुभाग है जिसमें माल की बिक्री पर कर लगाने का प्रावधान है। उप-धारा (3) उसी योजना का हिस्सा है जिसमें पंजीकृत विक्रेता द्वारा उप-धारा (2) के तहत देय कर को निर्धारित तरीके से माल की खरीद पर भुगतान किए गए कर की सीमा तक कम किया जाएगा। अधिनियम के अन्य प्रावधानों ने पूरी बात को विस्तार से समझाया और समझाया अधिनियम का तंत्र। धारा 4 से 12 तक निम्नलिखित विषयों से संबंधित विभिन्न प्रावधान हैं: =

" खंड 4. किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार पर कर का अधिरोपण। खंड 5. कार्यों में शामिल वस्तुओं के हस्तांतरण पर कर का शुल्क

अनुबंध।

धारा 6. कार्य ठेकेदार द्वारा चक्रवृद्धि दरों पर कर का भुगतान। धारा 6 ए। ईंट द्वारा चक्रवृद्धि दर पर कर का भुगतान

निर्माता।

धारा 7. खाद्य और पेय पदार्थों पर कर का अधिरोपण। धारा 8. होटल द्वारा चक्रवृद्धि दर पर कर का भुगतान,

रेस्तरां [मिठाई के स्टॉल और बेकरी]

धारा 9. सर्राफा और आभूषणों पर कर का शुल्क। धारा 10. पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर कर

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 74)

धारा 11. गन्ने पर कर का शुल्क।

धारा 12. खरीद कर का शुल्क "।

20. धारा 13 कार्य अनुबंध में स्रोत पर कर में कमी से संबंधित है, धारा 14 कर क्रेडिट के प्रत्यावर्तन से संबंधित है, धारा 15 छूट प्राप्त बिक्री से संबंधित है, धारा 16 आयातित और निर्यातित वस्तुओं के संबंध में कर लगाने के चरणों से संबंधित है; धारा 17 बोझ से संबंधित है।

धारा 18 शून्य मूल्यांकन से संबंधित है और धारा 19 इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। 21. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 3, उप-धारा (3) में प्रावधान किया गया है कि पंजीकृत विक्रेता द्वारा उप-धारा (2) के तहत देय कर को [2018] 13 एस. सी. आर. में कम किया जाएगा।

राज्य के भीतर पहली अनुसूची के भाग-ख और भाग-ग में निर्दिष्ट माल की खरीद पर भुगतान किए गए कर की सीमा तक, जो पंजीकृत व्यापारी है जिसने उसे माल बेचा है। धारा 3 उप-धारा (3) का प्रावधान एक ऐसा प्रावधान है जो एक पंजीकृत विक्रेता को कर क्रेडिट प्राप्त करने का अधिकार देता है जिसे धारा 19 में समझाया गया है। द.

प्रस्तुत करना कि धारा 19 पूरी तरह से धारा 3 (3) के लिए असंगत है

गलत धारणा है। धारा 3 उप-धारा (3) में जो परिकल्पना की गई है, उसे धारा 19 में प्रवर्धित और समझाया गया है। धारा 3 की उप-धारा (3) में विचार किए गए अनुसार कर में कमी धारा 19 में दिए गए तरीके से होनी चाहिए। धारा 19 (11) में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए एक शर्त है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 19 में ही अन्य विभिन्न प्रावधान हैं जहां इसमें ऐसे प्रावधान हैं जहां कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकार्य नहीं है, उदाहरण के लिए धारा 19 (6) से धारा 19 (10), जो निम्नानुसार हैं: -

" 19 (6) . पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी, जिनका उपयोग विशेष रूप से वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। धारा 15 के तहत छूट।

[प्रावधान है कि पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर जो हैं

छूट प्राप्त वस्तुओं और कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को निर्धारित तरीके से कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में इसके उपयोग की सीमा तक अनुमति दी जाएगी।] (7)
कोई भी पंजीकृत विक्रेता इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार नहीं होगा।

का सम्मान -

((a) खरीदी गई और व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ

मालिक या भागीदार या निदेशक को कर्मचारियों सहित और किसी भी आवासीय क्षेत्र में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से

आवास; या

(ख) वाणिज्यिक वाहनों, दो पहिया और तीन पहिया वाहनों और मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स सहित सभी ऑटोमोबाइल की खरीद।

और उसका रखरखाव, जब तक कि पंजीकृत विक्रेता ऐसे ऑटोमोबाइल या स्पेयर पार्ट्स में सौदा करने के व्यवसाय में न हो; या

(ग) वातानुकूलन इकाइयों की खरीद जब तक कि पंजीकृत विक्रेता ऐसी इकाइयों में व्यापार करने के व्यवसाय में न हो।

(8) उसके द्वारा बिक्री के लिए खरीदी गई लेकिन उसके द्वारा मुफ्त नमूने के रूप में दी गई किसी भी वस्तु पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी या

उपहार या व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपभोग की जाने वाली वस्तुएँ।

(9) किसी पंजीकृत विक्रेता को माल की खरीद के समय भुगतान किए गए या देय कर के लिए कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा, यदि ऐसा है।

(i) प्राकृतिक आपदा सहित किसी भी कारण से किसी भी चोरी, नुकसान या विनाश के कारण सामान नहीं बेचा जाता है। यदि कोई विक्रेता पहले से ही

ऐसी वस्तुओं की खरीद के खिलाफ इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाते हुए, टैक्स क्रेडिट का प्रत्यावर्तन होगा, या

((ii) अंतिम उत्पादों के निर्माण में उपयोग से पहले ही आग दुर्घटना में नष्ट हो जाने वाले या भंडारण के दौरान खो जाने वाले निवेश; या

(iii) पारगमन में क्षतिग्रस्त या किसी मध्यस्थ पर नष्ट किए गए निवेश

निर्माण का चरण।

(10) (क) पंजीकृत विक्रेता तब तक निवेश कर क्रेडिट का दावा नहीं करेगा जब तक कि विक्रेता को एक पंजीकृत विक्रेता द्वारा विधिवत भरा, हस्ताक्षरित और जारी किया गया मूल कर चालान प्राप्त नहीं होता है, जिससे माल खरीदा जाता है, जिसमें निवेश कर की राशि का प्रमाण देने वाली बिक्री के ऐसे विवरण होते हैं, जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(ख) यदि मूल कर चालान खो जाता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति केवल विक्रेता से प्राप्त ऐसे कर चालान की डुप्लिकेट या कार्बन कॉपी के आधार पर दी जाएगी, बशर्ते ऐसी शर्तें हों जो निर्धारित की जाएं।"

धारा 19 में अस्वीकृत योजना के बारे में विस्तार से बताया गया है जो कि स्व-निहित योजना है और धारा 3 उप-धारा (3) के तहत लाभ का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 19 में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाता है। 23. अब, हमें इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करने की आवश्यकता है जिन पर अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है। सबसे पहले

जिस निर्णय पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह ए. आई. आर. (1967) एस. सी. 1823, बिक्री कर अधिकारी, पोंकुन्नम और एक अन्य बनाम के. आई. अब्राहम में इस न्यायालय का निर्णय है। इस न्यायालय को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 और केंद्रीय बिक्री कर (केरल नियम, 1957) के नियम 6 पर विचार करने का अवसर मिला था। धारा 8 की उप-धारा (1) में प्रावधान किया गया है कि अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जो व्यापारी (ए) सरकार को बेचता है, उसके लिए

कोई भी माल; या (बी) उप-धारा (3) में निर्दिष्ट विवरण के सरकारी सामानों के अलावा किसी अन्य पंजीकृत विक्रेता को बेचना; [2018] 13 एस. सी. आर. के लिए उत्तरदायी होगा।

इस अधिनियम के तहत अक्ष, जो उसके कारोबार का एक प्रतिशत होगा। धारा 8 की उप धारा (4) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" 8. (4) उप-धारा (1) के प्रावधान अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी भी बिक्री पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि

माल बेचने वाला विक्रेता निर्धारित स्थान पर सामान प्रस्तुत करता है।

निर्धारित तरीके से प्राधिकरण

(क) उस पंजीकृत विक्रेता द्वारा विधिवत भरी और हस्ताक्षरित एक घोषणा जिसमें माल बेचा जाता है, जिसमें निर्धारित प्रावधान होते हैं।

से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में विवरण विहित प्राधिकारी; या

(ख) यदि माल सरकार को बेचा जाता है, जो एक पंजीकृत विक्रेता नहीं है, तो निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र विधिवत

एक विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा भरा और हस्ताक्षरित

सरकार "।

24. केंद्रीय बिक्री कर (केरल नियम) के नियम 6 पर ध्यान दिया गया है।

ग्राफ 5, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है: -

" 5. केंद्रीय बिक्री कर (केरल) नियम, 1957 का नियम 6 पढ़ें

इस प्रकार है:

“ 6. (1) धारा 7 के तहत पंजीकृत प्रत्येक विक्रेता

अधिनियम और अधिनियम के तहत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक विक्रेता प्रस्तुत करेगा

पाठ्यक्रम सहित उसके सभी लेन-देन की वापसी प्रपत्र II में भारत के क्षेत्र से बाहर माल का निर्यात

जुड़े हुए घोषणा प्रपत्रों के साथ ताकि उन तक पहुँचा जा सके

प्रत्येक महीने की 20 तारीख को या उससे पहले प्राधिकरण का आकलन करना

पिछले महीने का कारोबार और राशि दिखाना

या प्रमाण के साथ कर के रूप में एकत्र की गई राशि

अधिनियम के तहत उस पर देय कर का भुगतान।

बशर्ते कि घोषणा की प्राप्ति में देरी के मामलों में

प्रपत्र, विक्रेता किसी भी समय घोषणा प्रपत्र जमा कर सकता है

मूल्यांकन से पहले का समय:

बशर्ते कि प्रस्तुत करने में देरी

घोषणा प्रपत्र तिथि से तीन महीने से अधिक नहीं होंगे।

विचाराधीन बिक्री:

बशर्ते कि सभी घोषणा प्रपत्र लंबित हों

2-5-1960 पर विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना बाद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

16-2-1961 की तुलना में।"

ALD स्वचालित PVT। लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी [अशोक भूषण, जे.]

नियम 6 का पहला प्रावधान 3 जनवरी, 1958 की अधिसूचना द्वारा, दूसरा 26 अप्रैल, 1960 की अधिसूचना द्वारा और तीसरा 16 जनवरी, 1961 की अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया था।

25. इस न्यायालय के समक्ष जो निवेदन किया गया था, वह यह था कि "धारा 8 (4) में निर्धारित तरीके से उपयोग किया गया वाक्यांश समय तत्व में नहीं आता है।" निर्णय के पैराग्राफ 6 में यह न्यायालय धारा 8 (4) में आने वाले "निर्धारित" तरीके से वाक्यांश की व्याख्या करता है और यह अभिनिर्धारित करता है कि यह समय तत्व को नहीं लेता है। यह न्यायालय धारा 13 (4) के प्रावधान पर भी ध्यान देता है जो प्रावधान राज्य को उस "समय" के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है जिसके भीतर और जिस तरीके से अधिकारियों को किसी भी व्यवसाय के स्वामित्व में कोई बदलाव प्रस्तुत किया जाएगा। निर्णय के पैराग्राफ 6 में की गई प्रासंगिक टिप्पणियों को निकालना उपयोगी है: -

" 6 ..... लेकिन धारा 8 (4) में "निर्धारित तरीके से" वाक्यांश समय-तत्व को नहीं लेता है। दूसरे शब्दों में, यह धारा नियम बनाने के अधिकार को अधिकृत नहीं करती है -

एक समय सीमा निर्धारित करें जिसके भीतर घोषणा की जानी है।

पंजीकृत विक्रेता द्वारा दाखिल किया गया। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह अधिनियम की धारा 13 (4) (जी) की भाषा द्वारा समर्थित है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार "उस समय के भीतर, जिस तरीके से और उन अधिकारियों के लिए नियम बना सकती है जिनके लिए किसी भी व्यवसाय के स्वामित्व में या नाम में कोई परिवर्तन,

किसी भी विक्रेता द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय का स्थान या प्रकृति

सुसज्जित किया जाएगा "। इससे यह स्पष्ट होता है कि विधायिका इस तथ्य से अवगत थी कि "तरीके से" अभिव्यक्ति केवल उस तरीके को दर्शाती है जिसमें कोई कार्य किया जाना था, और यदि अधिनियम को करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की जानी थी, तो विशिष्ट शब्द जैसे "वह समय जिसके भीतर" भी थे। कानून में डालना
आवश्यक है। स्ट्रौड्स जुडिशल में

शब्दकोश में ऐसा कहा गया है। "तरीका और रूप" शब्द केवल उस तरीके को संदर्भित करते हैं जिसमें काम किया जाना है, और चीज़ के रूप में संदर्भित अधिनियम से कुछ भी पेश नहीं करते हैं।

कौन सा करना है या इसे करने का समय...

26. इस न्यायालय ने मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण से यह अभिनिर्धारित किया कि नियम 6 (1) अधिनियम की धारा 13 (3) और 13 (4) के साथ पठित धारा 8 (4) के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

27. जिस आधार पर नियम 6 को अधिकार से बाहर माना गया था, उस पर इस न्यायालय ने पैरा 6 में स्पष्ट रूप से ध्यान दिया है जैसा कि ऊपर देखा गया है।

यह

प्रासंगिक है [2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समय से संबंधित कोई भी नियम बनाने की शक्ति रखने वाला नियम। इस प्रकार, उपरोक्त मामले का वर्तमान विवाद से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वर्तमान मामले में समय अवधि धारा 19 (11) में ही निर्धारित की गई है जो अधिनियम का एक हिस्सा है और इसे धारा 3 उप-धारा (3) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। 28. एक अन्य निर्णय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मद्रास बनाम गृह मामले में इस न्यायालय का निर्णय।

अशोक लेलैंड लिमिटेड, 2007 (4) एस. सी. सी. 51. उपरोक्त मामले में जिस मुद्दे पर विचार किया गया था, उसे फैसले के पैराग्राफ 1 में देखा गया था।

जिसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है: -

" 1. विभाग द्वारा दायर इस दीवानी अपील में निर्धारण के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या

निर्धारिती वर्ष 1986-87 के दौरान अपने कारखाने में प्राप्त इनपुट के संबंध में 21-4-1986 से 2-4-1987 की अवधि के दौरान भुगतान किए गए अंतर शुल्क पर एमओडीवीएटी क्रेडिट का लाभ उठाने का हकदार था, जिसका उपयोग 16-8-1987 और 30 की अवधि के बीच किया गया था। 12-1987 . विभाग के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 57-ई में 15-4-1987 से एक संशोधन किया गया, जो विभाग के अनुसार संभावित रूप से संचालित होता था और इसके परिणामस्वरूप दावेदार भुगतान किए गए अंतर शुल्क के एमओडीवीएटी क्रेडिट का लाभ उठाने का हकदार नहीं था।

21-4-1986 से 2-4-1987 की अवधि के दौरान।"

29. फैसले के पैराग्राफ 2 में इस अदालत ने देखा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का नियम 57-ई, जैसा कि पहली बार आई. डी. 1 पर पेश किया गया था, शुल्क क्रेडिट में समायोजन के लिए प्रदान किया गया था। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी निवेश पर भुगतान किया गया शुल्क बाद में किसी भी कारण से अलग-अलग होता है, केवल क्रेडिट के तहत बनाए गए क्रेडिट खाते में समायोजन के अनुसार अलग-अलग होगा।

नियम 57 जी-(3)। नियम और संशोधनों के प्रासंगिक प्रावधानों को पैराग्राफ 2 में देखा गया है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है: -

" 2 ..... नियम 57-ई जैसा कि उस समय था जब एम. ओ. डी. वी. ए. टी. पहली बार लागू किया गया था।

शुल्क क्रेडिट में समायोजन के लिए प्रदान किए गए 1-3-1986 पर। यह.

मूल रूप से यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी भी निवेश पर भुगतान किया गया शुल्क जिसके संबंध में नियम 57-ए के तहत क्रेडिट की अनुमति दी गई है, तो वह स्वचालित पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी [अशोक भूषण, जे.]

बाद में किसी भी कारण से परिवर्तन हुआ जिसके परिणामस्वरूप धनवापसी हुई,

अकेले ऋण में समायोजन द्वारा तदनुसार परिवर्तन किया जाएगा।

नियम 57-जी (3) के तहत बनाए रखा गया क्रेडिट खाता (जिससे हम संबंधित हैं)। नियम 57-ई में 1-3,1987 को बदलाव किया गया था जिसके तहत यह निर्धारित किया गया था कि यदि किसी भी निवेश पर शुल्क का भुगतान किया जाता है जिसके संबंध में नियम के तहत क्रेडिट की अनुमति दी गई है।

57 - ए और यदि ऐसा शुल्क बाद में किसी भी कारण से बदला जाता है

जिसके परिणामस्वरूप धनवापसी होती है या यदि वर्गीकरण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वसूली के कारण शुल्क भिन्न होता है तो अनुमति प्राप्त क्रेडिट भी नियम 57-जी (3) के तहत बनाए गए क्रेडिट खाते में निर्णय द्वारा तदनुसार भिन्न होगा। नियम 57-E में 15-4-1987 पर एक और बदलाव किया गया। यह परिवर्तन तब तक चला 15-4-2000 . इसलिए यह मामला उपरोक्त अवधि यानी 15-4-1987 से 15-4-2000 के भीतर आता है। इस संशोधित नियम 57-ई के तहत

अतिरिक्त मोडवैट प्राप्त करने का निर्माता का अधिकार उन निवेशों के संबंध में ऋण जिन पर आगे शुल्क लगाया गया था

प्राप्ति की तारीख के बाद किसी भी कारण से भुगतान किया गया

निर्माता द्वारा निवेश को मान्यता दी जाती है। तथापि, ऐसा अधिकार निर्माता को उसके अनुपालन के अधीन आता है -

नियम 57-ई में यथासंशोधित समायोजन की प्रक्रिया।

30. उपरोक्त मामले में, नियम 57-ई को एम. ओ. डी. वी. ए. टी. क्रेडिट के लिए डब्ल्यू. ई. एफ. 15.04.1987 डिंग में संशोधित किया गया था, लेकिन विभाग ने तर्क दिया कि चूंकि यह प्रावधान संभावित रूप से लागू होगा, इसलिए उत्तरदाता आई. एम. ओ. डी. वी. ए. टी. क्रेडिट के हकदार नहीं थे। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि नियम 57-ई स्पष्ट करने वाली प्रकृति का है और इस अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

इनपुट पर भुगतान किए गए शुल्क के लिए एमओडीवीएटी क्रेडिट का दावा करने के लिए फैक्टरर। में।

ग्राफ 4 निम्नलिखित आयोजित किया गया है: -

" 4. इसलिए, हमारे विचार में, नीचे दी गई अदालतें सही थीं।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि नियम 57-ई प्रक्रियात्मक, स्पष्टीकरणात्मक और इसलिए मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा

अवधि 16-8-1987 से 30-12-1987 के बीच के योग में 6, 43 रुपये, 994.57।"

31. उपरोक्त मामला भी वर्तमान अपील में अपीलार्थी की मदद करने के लिए नहीं आता है। उपरोक्त मामले में ऐसा कोई मामला नहीं था कि

निर्माता द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क पर मोडवेट क्रेडिट प्राप्त करने के लिए निर्माता किसी भी आवश्यक पात्रता को पूरा नहीं करता है। वह संशोधन जिसे प्रभावी बनाया गया था डब्ल्यू. ई. एफ. 15.04.2017 जिसमें उपलब्धता प्रदान की गई थी

भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क पर एमओडीवीएटी क्रेडिट को स्पष्टीकरणात्मक माना गया था।

इसलिए, एमओडीवीएटी क्रेडिट के अधिकार को प्रभावित नहीं किया। उपरोक्त मामला इस प्रकार अपने तथ्यों पर था।

32. इनपुट क्रेडिट वैधानिक योजना के तहत डीलर को दिए गए लाभ/रियायत की प्रकृति का होता है। रियायत मिल सकती है।

केवल कानून की योजना के अनुसार लाभार्थी द्वारा। संदर्भ है गोदरेज और बॉयस एम. एफ. जी. में इस अदालत के फैसले के लिए बनाया गया। कं. प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम बिक्री कर और अन्य आयुक्त, (1992) 3 एस. सी. सी. 624। बॉम्बे बिक्री कर, 1959 के नियम 41 और 42 में खरीद कर को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियम बनाने वाला प्राधिकारी रियायत का विस्तार करते समय कटौती प्रदान कर सकता है। फैसले के पैराग्राफ 9 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है: -

" 9 ..... कानून में (नियम 41 और 41-ए के अलावा) अपीलार्थी को उनके द्वारा भुगतान किए गए खरीद कर के कटौती का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उसे राज्य के भीतर बिक्री कर से अपनी खरीद पर

द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर उसके द्वारा देय

उसे। यह केवल उक्त नियमों के आधार पर है-जिनकी कल्पना, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मुख्य रूप से जनता के हित में की गई है।

वह इस तरह की छूट का हकदार है। यह वास्तव में एक रियायत और एक भोग है। विशेष रूप से, जहां निर्मित माल

महाराष्ट्र राज्य के भीतर नहीं बेचे जाते हैं लेकिन हैं

राज्य की शाखाओं और एजेंटों को भेजा जाता है और वहां बेचा जाता है, महाराष्ट्र राज्य द्वारा कोई बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है या लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र राज्य को राज्य के

बाहर की गई ऐसी बिक्री के संबंध में कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसी बिक्री के संबंध में, नियम बनाने वाला प्राधिकरण सेट के लाभ से इनकार कर सकता था।

बंद कर दें। लेकिन इसने उदार होना चुना और उक्त का विस्तार किया

इस तरह के बाहर के लिए लाभ-राज्य बिक्री के साथ-साथ, विषय, हालांकि

ऐसी वस्तुओं के बिक्री मूल्य के एक प्रतिशत की कटौती

राज्य से बाहर भेजा और वहाँ बेचा। हम समझ नहीं पा रहे हैं

इस संबंध में एक वैध शिकायत कैसे की जा सकती है

कटौती तब की जाती है जब छूट के लाभ का विस्तार ही अपने आप में एक वरदान या रियायत हो। यह नियम के लिए खुला था-ALD स्वचालित PVT बनाना।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी [अशोक भूषण, जे.]

एक छोटी सी कटौती या कटौती का प्रावधान करने का अधिकार

रियायत का विस्तार करते हुए। इस कोण से देखने पर,

बाहर से प्रभावित कच्चे माल की खरीद पर कर राज्य या बाहर से उत्पादित वस्तुओं की बिक्री पर

बिक्री-उस अनुपात के संदर्भ में कीमत जिसमें कच्चा राज्य के भीतर और बाहर सामग्री खरीदी गई थी।

कर, बैंगलोर के पास केंद्रीय बिक्री कर (कर्नाटक) नियम, 1957 के नियम 6 (बी) (ii) पर विचार करने का अवसर था, जिसमें मूल प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। धारा 8 (1) के तहत कर की रियायती दर का दावा करने के लिए प्रपत्र-सी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि नियम के तहत आवश्यकता अनिवार्य है और इसके बिना

निर्दिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हुए, विक्रेता लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं।

पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है: -

" 13 ..... कर्नाटक नियमों के नियम 6 (बी) (ii) के तहत,

राज्य सरकार ने प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं

पालन किया गया और दावा करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

केंद्र सरकार की धारा 8 (4) के तहत कर की रियायती दर बिक्री कर अधिनियम। इस प्रकार, विक्रेता को कड़ाई से इसका पालन करना होगा

प्रक्रिया और नियम 6 (बी) (ii) और उक्त नियम के तहत आवश्यक प्रासंगिक सामग्री का उत्पादन करें। निर्दिष्ट का उत्पादन किए बिना

उसके तहत निर्धारित दस्तावेज एक व्यापारी दावा नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रदान किए गए लाभ। इसलिए, हमारी राय है कि केंद्रीय बिक्री कर (कर्नाटक) नियम, 1957 के नियम 6 (बी) (ii) में निहित आवश्यकताएं हैं:

अनिवार्य "।

34. इस अदालत को कर्नाटक राज्य बनाम एम. के. एग्रो टेक में कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2013 पर विचार करने का अवसर मिला था। (पी) लिमिटेड, (2017) 16 एससीसी 210। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह कानून का एक निश्चित प्रस्ताव है कि कर कानून की शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए और आगे यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में है कि किन परिस्थितियों में कितना कर क्रेडिट दिया जाना है। पैराग्राफ 32 में निम्नलिखित कहा गया था: -

" 32. चौथा, केवीएटी अधिनियम की पूरी योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए और धारा 17 को उस संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए।

सूरजमुखी के तेल का केक निवेश कर के अधीन है। विधायिका, हालाँकि, इस प्रावधान को धारा के रूप में शामिल किया गया है

10 , उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में कर क्रेडिट देना।

अन्य वस्तुओं के निर्माण के लिए निवेश/कच्चे माल के रूप में। इसके पीछे का तर्क सरल है। जब काम पूरा हो जाए।

उत्पाद, निर्माण के बाद, बेचा जाता है, फिर से वैट होगा उस पर देय। यह वैट उस कीमत पर देय है जिस पर

ऐसी वस्तुओं को बेचा जाता है, जिनकी लागत को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

ऐसी वस्तुओं के निर्माण में शामिल खर्च और

वह लाभ जो निर्माता अर्जित करना चाहता है। यहाँ तक कि

जहां तक लागत का संबंध है, कच्चे माल पर किए गए खर्च का तत्व सामग्री शामिल होगी। इस तरह, जब अंतिम

उत्पाद बेचा जाता है और वैट का भुगतान किया जाता है, कच्चे माल का घटक

इसे फिर से शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए,

विधायिका ने कुछ हद तक कर क्रेडिट देने का इरादा किया है। हालांकि, कितना टैक्स क्रेडिट दिया जाना है और किसके तहत

परिस्थितियाँ, विधायिका और न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है उसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है।

35. फैसला जिस पर तमिल के विद्वान महाधिवक्ता ने फैसला सुनाया

बहुत अधिक निर्भरता रखी थी अर्थात जयम एंड कंपनी बनाम

टैंट कमिश्नर और अन्य, (2016) 15 एस. सी. सी. 125, हैं

जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है। उपरोक्त मामले में, इस मामले में तमिलनाडु मूल्य वर्धित अधिनियम, 2006, धारा 19 (20), धारा 3 (2) और धारा 3 (3) के प्रावधानों की व्याख्या करने का अवसर मिला। उक्त मामले में 19 (20) की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसके बाद यह अदालत

धारा 19 के तहत योजना में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया गया

ग्राफ 11: -

" 11. धारा 19 की उपरोक्त योजना से निम्नलिखित

महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं:

(क) आई. टी. सी. विधायिका द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायत का एक रूप है।

यह सभी प्रकार की और कुछ निर्दिष्ट बिक्री के लिए स्वीकार्य नहीं है।

बिक्री विशेष रूप से बाहर रखी गई है।

(ख) आई. टी. सी. की रियायत कुछ शर्तों पर उपलब्ध है।

इस खंड में उल्लिखित।

(ग) सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक यह है कि

विक्रेता को आई. टी. सी. का दावा करने में सक्षम बनाना है, उसे मूल कर ए. एल. डी. ऑटोमोटिव पी. वी. टी. का उत्पादन करना है।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी [अशोक भूषण, जे.]

चालान, सभी मामलों में पूरा किया गया, राशि का प्रमाण

निवेश कर।"

36. इस न्यायालय ने आगे कहा कि यह एक सामान्य कानून है कि जब भी किसी क़ानून द्वारा रियायत दी जाती है तो ऐसी रियायत का लाभ उठाने के लिए उसकी शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। पैराग्राफ 12 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है: -

" 12. यह एक सामान्य कानून है कि जब भी क़ानून या अधिसूचना आदि द्वारा रियायत दी जाती है, तो इसकी शर्तें इस प्रकार हैं -

इस तरह की रियायत का लाभ उठाने के लिए इसका सख्ती से पालन किया गया। इस प्रकार,

आई. टी. सी. का लाभ प्राप्त करना "विक्रेताओं" का अधिकार नहीं है, बल्कि यह धारा 19 के आधार पर दी गई रियायत है। दुर्भाग्य से, धारा 10 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। उस रंग में, हम पाते हैं कि धारा 10 मूल कर चालान को कर का दावा करने के उद्देश्य से प्रासंगिक बनाती है। इसलिए इसके तहत वैट अधिनियम की योजना के अनुसार, विक्रेताओं को यह तर्क देने की अनुमति नहीं है कि कर चालान में दर्शाई गई कीमत होनी चाहिए

इसे ध्यान में नहीं रखा गया है, लेकिन छूट के बाद शुद्ध खरीद मूल्य आधार होना चाहिए। यदि हम वैट अधिनियम की धारा 19 के अनुसार आई. टी. सी. के मुद्दे के किसी अन्य पहलू पर विचार कर रहे होते, तो संभवतः श्री बागरिया की दलीलें कुछ प्रासंगिक होतीं। लेकिन, मुद्दे के दायरे को ध्यान में रखते हुए, इस तरह की याचिका वैट अधिनियम की धाराओं की सरल भाषा को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है, जिसे उपरोक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है।"

37. धारा 19 (20) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया। उपरोक्त निर्णय इस प्रस्ताव के साथ एक स्पष्ट प्राधिकरण है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2006 की धारा 19 के तहत गणना की गई शर्तों के अनुसार ही स्वीकार्य है। द्वारा की गई व्याख्या

यह न्यायालय धारा 3 (2) और 3 (3) और धारा 19 (2) पर अधिनियम की धारा 3 (2) और 3 (3) के समान प्रावधानों और धारा 19 (11) के प्रावधानों पर विचार करते हुए पूरी तरह से आकर्षित है। धारा 19 (11) द्वारा निरूपित सांविधिक योजना को न तो मनमाना कहा जा सकता है और न ही संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत विक्रेता को गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन कहा जा सकता है। इस प्रकार हम अधिनियम की धारा 19 (11) की वैधता को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। दोनों मुद्दों का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

38. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा दबाव डाला गया वैकल्पिक निवेदन यह था कि धारा 19 (11) को अनिवार्य नहीं ठहराया जा सकता है और यह केवल एक निर्देशिका प्रावधान है, जिसका गैर-अनुपालन अपीलार्थी को इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। शर्ते

कर के निर्धारण के उद्देश्य से दायर किया जाना किसी व्यापारी की इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकता है। धारा 19 (11) में 'होगा' शब्द का उपयोग किसी अन्य व्याख्या को स्वीकार नहीं करता है सिवाय इसके कि इनपुट प्रस्तुत करने का दावा किया गया है। निर्धारित समय से अधिक नहीं हो सकता है। धारा 19 (11), वास्तव में, इनपुट क्रेडिट के दावे के लिए अतिरिक्त समय अवधि प्रदान करती है। सांविधिक योजना में अगले महीने की 20 तारीख से पहले समय पर विवरणी दाखिल करने पर विचार किया गया है। तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर नियम, 2007 का नियम 7 विवरणी दाखिल करने से संबंधित है। नियम 7 (ए) और (बी) इस प्रकार हैं: -

" 7. रिटर्न दाखिल करना:

(1) (क) अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी, एक ऐसे व्यापारी के अलावा, जिसने धारा 3 की उप-धारा (4) या धारा 6 या धारा 8 के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुना है, जिसमें एक अनिवासी व्यापारी और आकस्मिक व्यापारी का एजेंट भी शामिल है, प्रत्येक महीने के लिए विवरणी प्रपत्र I में उस निर्धारण प्राधिकारी को दाखिल करेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसका व्यवसाय का प्रमुख स्थान या मुख्य कार्यालय स्थित है। इस तरह के विवरणी के साथ कर के भुगतान का प्रमाण भी होगा।

(ख) प्रत्येक पंजीकृत विक्रेता, जो धारा 3 की उप-धारा (5) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, अगले महीने की 20 तारीख को या उससे पहले उस निर्धारण प्राधिकारी को फॉर्म जे में विवरणी दाखिल करेगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसका व्यवसाय का प्रमुख स्थान या मुख्य कार्यालय स्थित है। इस तरह की वापसी प्रमाण के साथ होगी।

कर का भुगतान:

ALD स्वचालित PVT। लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी [अशोक भूषण, जे.]

[बशर्ते कि खंड (ए) या (बी) में निर्दिष्ट एक पंजीकृत विक्रेता, जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में कर योग्य कारोबार दो सौ करोड़ रुपये और उससे अधिक है, उपरोक्त दाखिल करेगा।

अगले महीने की 12 तारीख को या उससे पहले

प्राधिकरण का आकलन करना जिसके अधिकार क्षेत्र में उसका प्रमुख स्थान है व्यवसाय या मुख्य कार्यालय स्थित है। ऐसी वापसी होगी

कर भुगतान के प्रमाण के साथ।] ”

39. अधिनियम की धारा 21 में निम्नलिखित में विवरणी दाखिल करने का प्रावधान है -

तरीका - -

" [21. रिटर्न दाखिल करना।

इस अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक विक्रेता, कर के भुगतान के प्रमाण के साथ, निर्धारित तरीके से, निर्धारित अवधि के भीतर कुल और कर योग्य कारोबार को दर्शाते हुए, निर्धारित प्रपत्र में विवरणी दाखिल करेगा। इस धारा के तहत कर

विक्रेता को मांग की कोई सूचना दिए बिना देय हो जाता है

वापसी की प्राप्ति की तिथि या अंतिम तिथि पर

निर्धारित विवरणी दाखिल करने की अवधि।] ”

40. इस प्रकार धारा 19 (11) ने इनपुट क्रेडिट के लिए एक विस्तारित अवधि की अनुमति दी, जिसका यदि किसी भी महीने में दावा नहीं किया जाता है, तो इस अवधि के अंत से पहले दावा किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष या खरीद की तारीख से 90 दिनों से पहले, जो भी बाद में हो। इस प्रकार धारा 19 (11) का प्रावधान विस्तारित अवधि में इनपुट क्रेडिट का दावा करने के लिए डीलर को दिया जाने वाला एक अतिरिक्त लाभ है। "दावा करेगा" शब्द के उपयोग के लिए किसी अन्य व्याख्या की आवश्यकता नहीं है।

41. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने दल चंद बनाम नगर निगम, भोपाल में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है।

और दूसरा, 1984 (2) एस. सी. सी. 486,। उपरोक्त मामले में यह न्यायालय खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1955 के नियम 9 (जे) पर विचार कर रहा था, जिसमें 10 दिनों की अवधि के भीतर सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। उक्त नियम को निर्देशिका माना गया था। उपरोक्त मामले पर विचार करते समय, इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

यह निर्धारित करने के लिए कोई तैयार परीक्षण या अपरिवर्तनीय सूत्र नहीं हैं कि कोई प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका। द.

कानून का व्यापक उद्देश्य महत्वपूर्ण है। का उद्देश्य

विशेष प्रावधान पर विचार किया जाना चाहिए। इन दोनों के बीच संबंध

दोनों सबसे महत्वपूर्ण हैं। परिणाम का वजन [2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी प्रावधान को अनिवार्य या निर्देशिका रखना महत्वपूर्ण है और अक्सर इस सवाल का निर्धारण करता है कि क्या प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका। जहां कानून की परिकल्पना सार्वजनिक शरारत को टालना या रोकना है, लेकिन उसके पत्र में शाब्दिक रूप से किसी विशेष प्रावधान का प्रवर्तन उस डिजाइन को विफल करने की प्रवृत्ति रखता है, तो प्रावधान को निर्देशिका माना जाना चाहिए, ताकि शिकायत किए गए अधिनियम को अमान्य करने के लिए प्रावधान का गैर-अनुपालन के अलावा पूर्वाग्रह का प्रमाण आवश्यक हो। यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि अक्सर कई नियम, हालांकि भाषा में जोड़े जाते हैं जो अनिवार्य प्रतीत होते हैं, केवल उन लोगों के लिए निर्देश से अधिक नहीं हैं जिन्हें वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का कार्य सौंपा गया है।

सार्वजनिक लाभ। जिन लोगों को सार्वजनिक कर्तव्य सौंपे गए हैं, उनकी लापरवाही को वैधानिक व्याख्या द्वारा सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने और सार्वजनिक असुविधा का कारण बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

और क़ानून के मुख्य उद्देश्य को पराजित करें। यह समझना भी अच्छा है कि एक अवधि का प्रत्येक निर्देश जिसके भीतर एक अधिनियम होना चाहिए।

यदि कार्य उस अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह दर्दनाक परिणामों के साथ सीमा की अवधि का निर्देश नहीं है।

खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम के नियम 9 (जे), जैसा कि तब था, ने केवल खाद्य निरीक्षक को सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट की पंजीकृत डाक प्रति द्वारा उस व्यक्ति को भेजने का निर्देश दिया, जिससे रिपोर्ट प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर नमूना लिया गया था। स्पष्ट रूप से 10 दिनों की अवधि सीमा की अवधि नहीं थी जिसके भीतर कोई कार्रवाई शुरू की जानी थी या जिसकी समाप्ति पर एक निहित अधिकार अर्जित हुआ था। 10 दिनों की अवधि अभियान के लिए निर्धारित की गई थी और इस उद्देश्य के साथ कि जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया था, उसे ऐसी व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए कि वह लोक विश्लेषक की रिपोर्ट को चुनौती देना चाहे, उदाहरण के लिए, मजिस्ट्रेट से अनुरोध करके कि दूसरा नमूना केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक को विश्लेषण के लिए भेजा जाए।

जहां नियम के गैर-अनुपालन का प्रभाव ऐसा था कि व्यक्ति को चुनौती देने के अधिकार से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया था

सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक की रिपोर्ट प्राप्त करके, शिकायत के लिए उचित कारण हो सकता है, क्योंकि पूर्वाग्रह तब बड़ा लिखा जाएगा। जहाँ कोई पूर्वाग्रह नहीं था वहाँ शिकायत का कोई कारण नहीं हो सकता था। ए. एल. डी. स्वचालित पी. वी. टी. की रोकथाम के नियम 9 (जे) के बारे में मेरा स्पष्ट विचार है।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी [अशोक भूषण, जे.]

खाद्य मिलावट नियम नियम निर्देशिका थी और नहीं अनिवार्य है।

42. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि क्या विशेष प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका का निर्धारण किया जाना है

कानून के विशेष प्रावधान और डिजाइन के उद्देश्य का आधार। सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 10 दिनों की अवधि को इस कारण से निर्देशिका माना गया था कि जिन लोगों को सार्वजनिक कर्तव्य सौंपे गए हैं, उनकी लापरवाही से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए जो सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा दे और जनता का कारण बने

असुविधा और क़ानून के मुख्य उद्देश्य को पराजित करना। व्याख्या उपरोक्त मामले में नियम 9 (जे) की अपनी वैधानिक योजना थी और वर्तमान मामले में इसका कोई प्रभाव नहीं है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि धारा 19 (11) में दी गई समय अवधि अनिवार्य है।

मुद्दा नं. 5

43. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों में से एक यह था कि अपीलार्थी के पास इसके लिए वैध स्पष्टीकरण था कि

धारा 19 (11) के तहत प्रदान किए गए समय के भीतर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना, इसलिए, प्राधिकरण के पास समय बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 19 (11) में निहित समय अवधि सीमा कानून के समान नहीं है। हमने पहले ही पाया है कि धारा 19 (11) में आने वाली अभिव्यक्ति "होगी" अनिवार्य है जिसका अनुपालन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए आवश्यक है। अपीलार्थी ने सुरिंदर सिंह बनाम केंद्र सरकार में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है और अन्य, 1986 (4) एससीसी 667। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त मामले में केंद्र सरकार जो विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 के तहत अधिकार का प्रयोग कर रही थी, नीलामी राशि जमा करने के लिए आवश्यक समय बढ़ाने की हकदार थी। उपरोक्त मामले में, केंद्र सरकार के अधिकारी अधिनियम की धारा 33 के तहत केंद्र सरकार को दिए गए पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहे थे। मामले के तथ्यों को पैराग्राफ 9 में निम्नलिखित प्रभाव से देखा गया था: -

नीलामी-बिक्री राशि जमा करें। श्री रजनीकांत ने 6 फरवरी, 1970 के अपने आदेश द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 33 के तहत [2018] 13 एस. सी. आर. को अलग रखा।

अगस्त 1959 में आयोजित नीलामी-बिक्री को रद्द करने का आदेश

और अपीलार्थी को शेष राशि जमा करने की अनुमति दी

ऑर्डर की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पैसे खरीदें

एक डिफ़ॉल्ट खंड के साथ कि उसकी विफलता पर उसकी याचिका होगी पदच्युत कर दिया। उस आदेश के अनुसार अपीलार्थी 21 फरवरी, 1970 तक धन जमा करने का हकदार था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के अनुरोध पर कार्यालय ने एक चालान तैयार किया जो

यह 20 फरवरी, 1970 तक वैध था। अपीलार्थी के पास गया

20 फरवरी, 1970 को स्टेट बैंक ने जमा करने के लिए लेकिन

जल्दबाजी के कारण वह जमा नहीं कर सके। उनके आवेदन पर

श्री रजनी कांत ने जमा करने की अनुमति देने के लिए समय बढ़ाया

28 फरवरी, 1970 के परिणामस्वरूप एक नया चालान तैयार किया गया था जो 28 फरवरी, 1970 तक वैध था।

उस अवधि में अपीलार्थी ने शेष खरीद जमा की

पैसा।

44. फैसले के पैराग्राफ 10 में धारा 33 निकाली गई है।

निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है: -

" 10. धारा 33 निम्नानुसार है: " केंद्र सरकार की कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ। द.

केंद्र सरकार किसी भी समय रिकॉर्ड के लिए कॉल कर सकती है इस अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही और इस तरह का आदेश पारित कर सकता है

उसके संबंध में, जैसा कि उसकी राय में मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता है और जैसा कि किसी भी प्रावधान के साथ असंगत नहीं है इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित।

45. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिकारी था

धारा 33 के तहत केंद्र सरकार की शक्ति का उपयोग करना और इसे रद्द करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार करने के लिए पर्याप्त अधिकार था।

आरडर और अपीलार्थी को खरीद राशि की शेष राशि जमा करने की अनुमति देना। शक्ति की जाँच करते समय निम्नलिखित अवलोकन

धारा 33 के तहत बनाया गया था:

" 11. इस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार को प्रदान की गई शक्ति प्रकृति में एक अवशिष्ट शक्ति है जैसा कि धारा का शीर्षक ही इंगित करता है। इस धारा को अधिनियमित करके संसद

केंद्र सरकार को किसी भी मामले का रिकॉर्ड मंगाने और कोई भी आदेश पारित करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे। इस शक्ति के प्रयोग की एकमात्र सीमा यह है कि केंद्र सरकार स्वचालित पी. वी. टी. का समर्थन करेगी।

लिमिटेड। वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी [अशोक भूषण, जे.]

ऐसा कोई आदेश पारित न करें जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ असंगत हो। इसलिए, केंद्र सरकार या प्रत्यायोजित प्राधिकरण के पास शक्ति है

अधीनस्थ अधिकारियों के किसी भी आदेश को दरकिनार करना, या ऐसे निर्देश जारी करना जिन्हें वह तथ्यों पर आवश्यक समझता है।

उपरोक्त सवार के अधीन एक मामले का। इस शक्ति का उपयोग न्याय करने और किसी पक्ष की कठिनाई को कम करने के लिए किया जाना है।

तकनीकीता से अप्रभावित। श्री रजनी कांत धारा 33 के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अधिनियम के आदेशों को अलग करने के लिए पर्याप्त अधिकार क्षेत्र था

अगस्त में आयोजित नीलामी को रद्द करते हुए अधीनस्थ अधिकारी

24 , 1959 और अपीलार्थी को खरीद राशि की शेष राशि जमा करने की अनुमति देने के लिए और उसके पास शुरू में उसके द्वारा दिए गए समय को बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र था। अपीलार्थी को धन जमा करने में सक्षम बनाने के लिए समय का विस्तार 6 फरवरी, 1970 के पहले के आदेश की समीक्षा के बराबर नहीं था।

46. उपरोक्त मामला इस प्रकार अपने स्वयं के तथ्यों पर था, इस न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करते हुए, इसका अधिकार क्षेत्र था

उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित करना जो उसकी राय में मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो। तमिलनाडु मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2006 की योजना में, धारा 19 (11) के तहत अनिवार्य आवश्यकता को कम करने के लिए अधिनियम के तहत किसी भी प्राधिकरण को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। कराधान कानून का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। कुछ भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए, नोट करना निहित होना चाहिए और कर कानून में उपयोग की जाने वाली भाषा को निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए। कराधान कानून में परिकल्पित लाभों को उसमें परिकल्पित प्रतिबंधों और शर्तों के अनुसार बढ़ाया जाना था। कानून के पास नहीं है

समय के विस्तार के लिए किसी भी संकेत को देखते हुए, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए एक शर्त है, यह प्रस्तुत करना कि मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा अवधि बढ़ाई जा सकती थी, निराधार है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अंक संख्या 5 का उत्तर उसी के अनुसार दिया गया है। 47. उच्च न्यायालय पहले ही उन याचिकाकर्ताओं को कानूनी अपील दायर करने की स्वतंत्रता दे चुका है जिनके मामलों के मूल्यांकन को अंतिम रूप दे दिया गया है

और आपत्तियाँ जो काफी हद तक अपीलार्थियों के हितों की रक्षा करती हैं 48. अतः हम उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

निधि जैन